



# जीविका

गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

## बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



प्रथम तल, विद्युत भवन-2, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष :+91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960, वेबसाइट : [www.brsp.in](http://www.brsp.in)

Ref. No:- BRLPS/Proj-H&N/839/15/2249

Date :- 17.09.2021

### कार्यालय आदेश

#### "कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और हृदयाधात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" (NPCDCS)

"कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और हृदयाधात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" (NPCDCS) के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्गत पत्रांक- SHSB/GA/NCD/2137/2017/P-I/2202, दिनांक - 23.07.2021 द्वारा "स्वस्थ जीविका दीदी" अभियान चलाये जाने का निदेश प्राप्त है। इसके अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक उम्र की जीविका दीदियों और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को कैंप के माध्यम से गैर-संचारी रोगों यथा - उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर इत्यादि का Screening किया जाना है। वर्णित आदेश के अलोक में जीविका दीदियों और उनके परिवार के सभी पात्र सदस्यों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से निरंतर समन्वय स्थापित करते हुये निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्पादित किये जाने की आवश्यकता है -

#### 1. नोडल व्यक्ति -

जिला स्तर पर प्रबंधक- स्वास्थ्य और पोषण, प्रखंड स्तर पर BPM और क्लस्टर एवं CLF स्तर पर क्लस्टर इंचार्ज एवं (AC/CC) इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी होंगे। सभी नोडल पदाधिकारी अपने स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के समस्तरीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे। क्लस्टर एवं CLF स्तर के नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CLF का मैपिंग सम्बन्धित APHC (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) एवं HSC (स्वास्थ्य उप-केंद्र) के साथ हो जाये।

#### 2. CLF की सूक्ष्म कार्य-योजना बनाना -

दोनों विभाग के नोडल व्यक्ति आपसी सहयोग से प्रखंड अंतर्गत सभी CLF की एक सूक्ष्म कार्य-योजना का निर्माण करेंगे। सूक्ष्म कार्य-योजना में CLF अंतर्गत इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित पूरी सूचना को सम्मिलित किया जायेगा। CLF की सूक्ष्म कार्य-योजना का प्रारूप संलग्न है। CLF कार्य-योजना में Screening हेतु अनुमानित लाभार्थियों की संख्या की गणना की जानी है, जिसमें समूह के सदस्य एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है। जीविका दीदी के परिवार के अन्य सदस्यों की गणना प्रति सदस्य  $\times$  3 सदस्यों के अनुपात में किया जायेगा।

CLF द्वारा निर्मित सूक्ष्म कार्य-योजना सम्बन्धित सामुदायिक उत्प्रेरकों (CMs) के साथ साझा की जाएगी ताकि सभी CM अपने-अपने समूह की बैठक में समूह की दीदियों को इस कार्यक्रम और आशा द्वारा किए जाने वाले गृह-भ्रमण की जानकारी दी जा सके। साथ ही, CM अपने सम्बन्धित आशा से लक्ष्य के विरुद्ध साप्ताहिक CBAC प्रपत्र भरने की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगी और तदनुसार प्रतिवेदन प्रेषित करेंगी।

### 3. आशा द्वारा गृह-भ्रमण कर CBAC प्रपत्र को भरना -

निर्मित कार्य-योजना के अनुसार आशा अपने निर्धारित गाँव का तिथि के अनुसार भ्रमण करेंगी और सभी पात्र जीविका दीदियों तथा उनके परिवार के पात्र सदस्यों का CBAC प्रपत्र भरेंगी। इस कार्य में CM आवश्यकतानुसार आशा को सहयोग प्रदान करेंगी। आशा यह प्रयास करेंगी कि अपने आवंटित गाँवों में सभी पात्र जीविका दीदियों और उनके परिवार के पात्र अन्य सभी सदस्यों का CBAC प्रपत्र पूर्ण रूप से भर कर सम्बंधित CM को इसका सूचना प्रदान की जा सके। यदि लाभार्थी अधिक हों तो आवश्यकतानुसार अन्य तिथियों को भी आशा भ्रमण करेंगी।

### 4. भरे हुए CBAC प्रपत्र का Digitisation -

आशा पूर्ण रूप से भरे हुए सभी CBAC प्रपत्र को अपने सम्बंधित ANM को समर्पित करेंगी। आशा द्वारा उपलब्ध कराये गये CBAC प्रपत्रों में अंकित सूचनाओं के Digitisation का कार्य सम्बंधित APHC पर नियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर / ANM द्वारा किया जायेगा।

### 5. दीदियों और उनके परिवार के सदस्यों को Screening हेतु अभिप्रेरित करना -

सूक्ष्म कार्य-योजना के अनुसार सम्बंधित CLF कार्यालय में प्रत्येक सोमवार, वृहस्पतिवार और शनिवार को Screening कैप लगेगा, जिसमें चिकित्सकीय दल द्वारा चिह्नित गाँव की दीदियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों का Screening किया जायेगा। एक चिकित्सकीय दल द्वारा एक दिन में लगभग 100 लोगों का Screening किया जायेगा। इसी अनुपात में जीविका दीदियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों को Screening के लिए अभिप्रेरित किया जाये, ताकि कैप में अधिक भीड़ न लगे और कोई दीदी या उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य बिना Screening के वापस नहीं जायें। जीविका दीदियों और उनके परिवार के सदस्यों को अभिप्रेरित करने का कार्य सम्बंधित आशा द्वारा किया जायेगा, जिसमें CM की सहायता अपेक्षित होगी।

Screening कैप हेतु अभिप्रेरित करने का कार्य बारी-बारी से गाँव को चिह्नित कर किया जायेगा, ताकि एक-एक कर सभी गाँवों की दीदियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों को अभिप्रेरित कर उनका Screening कराया जा सके। इस रणनीति के तहत कार्य करने पर कैप स्थल पर ज्यादा भीड़ नहीं होगी और आसानी से सभी लोगों का Screening भी कराया जा सकेगा।

### 6. रिपोर्टिंग -

**CM** सम्बंधित आशा से निरंतर संपर्क में रहेंगी और आशा से अपने क्षेत्र की कितनी जीविका दीदियों और उनके परिवार के सदस्यों का CBAC प्रपत्र भरा गया इसकी अद्यतन जानकारी रखेंगी और प्रत्येक सप्ताह अपने सम्बंधित क्लस्टर एवं CLF इंचार्ज (AC/CC) के साथ साझा करेंगी।

क्लस्टर एवं **CLF इंचार्ज (AC/CC)** अपने क्षेत्र अंतर्गत CLF वार अनुमानित लक्ष्य (सूक्ष्म कार्य-योजना के अनुसार), कितना CBAC प्रपत्र भरा गया (CM से), कितना CBAC प्रपत्र का Digitisation हुआ (सम्बंधित ANM से), कितने का Screening हुआ (कैप स्थल से) और कितने मरीज चिह्नित हुये (कैप स्थल से) आदि की जानकारी रखेंगे और साप्ताहिक तौर से प्रखंड को प्रेषित करेंगे। राज्य से **ODK** का लिंक इसके साथ दिया गया है, जिसमें सम्बंधित क्लस्टर एवं CLF इंचार्ज (AC/CC) उक्त प्रतिवेदन को CLF वार साप्ताहिक रूप से अद्यतन करेंगे। ODK लिंक से मोबाइल और लैपटॉप दोनों से प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सकेगा।



प्रखंड से BPM और जिला से प्रबंधक - स्वास्थ्य और पोषण साप्ताहिक प्रतिवेदन ODK लिंक के अद्यतन किए जाने का सघन अनुश्रवण करेंगे और समय-समय पर इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निदेश देंगे।

विश्वासभाजन

Q

(बी. के. पाठक) 17.9.2021

विशेष कार्य पदाधिकारी, जीविका

अनुलग्नक - निर्गत पत्रांक संख्या - 2202, दिनांक - 23.07.21 संलग्न।

CLF का सूक्ष्म कार्य-योजना का प्रपत्र संलग्न।

ODK का लिंक - <https://enketo.ona.io/x/zYjotNCg>

ज्ञापांक - BRLPS/प्र०)- H&N/839/15/2249 दिनांक - 17.09.2021

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और प्रबंधक-स्वास्थ्य और पोषण को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी परियोजना प्रबंधक और राज्य परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : परियोजना समन्वयक वित्तीय समावेशन और GKM को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित।

Q

(बी. के. पाठक)

17.9.2021

विशेष कार्य पदाधिकारी, जीविका

### MICROPLAN FORMAT FOR CLF UNDER NCD PROGRAM

District Name -				Block Name -							
S.No.	Name of GP	Name of Village	No of SHG	No of SHG Member (30+ age)	No of SHG Family member (30+ age)	Total Eligible Members (30+ Age) for screening	Name of the Asha for filing CBAC form	Contact Number of Asha	Date of visit for filling CBAC form By the Asha	Expected date for Digitization of CBAC	Expected date for Screening at the CLF office (Camp)
a	b	c	d	e	f=(d+e)	g	h	i	j	k	
1	GP 1	Village 1									
2		Village 3									
3		Village 4									
4		Village 1									
5	GP 2	Village 2									
6		Village 3									
7		Village 4									
8		Village 1									
9	GP 3	Village 2									
10		Village 3									
11		Village 4									
12		Village 1									
13	GP 4	Village 2									
14		Village 3									
15		Village 4									
16		Village 1									
17	GP 5	Village 2									
18		Village 3									
19		Village 4									

Signature of AC

Signature of BHM/BCM



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



पत्रांक : SHSB/GA/NCD/2137/2017/P-I/ 2202

, दिनांक : 23/2/21

स्वास्थ्य विभाग  
बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग  
बिहार सरकार

मनोज कुमार, भा०प्र०से०  
विशेष सचिव, स्वास्थ्य-सह-कार्यपालक निदेशक

बाला मुरुगन डी०, भा०प्र०से०  
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग—सह—  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, “जीविका”

सेवा में,

सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव,  
सभी जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार  
जिला परियोजना प्रबंधक, “जीविका”,  
सभी जिला, बिहार।

**विषय :** NPCDCS कार्यक्रम अंतर्गत Population Based Mass Screening for NCDs के तहत UPHC, APHC एवं HSC के कार्यक्षेत्र में ‘स्वस्थ जीविका दीदी’ अभियान के संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में Population Based Mass Screening for NCDs के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के कुल 9426212 व्यक्तियों की NCD Screening का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरुद्ध माह अप्रैल से जून, 2021 में कुल 106439 व्यक्तियों की Screening की गई है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का मात्र 1.13% ही है।

2. उक्त के आलोक में एवं कोरोना की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर कार्यहित में Population Based Mass Screening for NCDs के सफल क्रियान्वयन हेतु जिलों में इसे त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से UPHC, APHC, HSC के कार्यक्षेत्र में उपरोक्त गतिविधियों का संचालन एक विशेष अभियान ‘स्वस्थ जीविका दीदी’ के माध्यम से पुनः प्रारम्भ कराया जाना है।

3. अतः निर्देशित है कि UPHC, APHC एवं HSC के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार अंतर्गत जिला स्तरीय “जीविका” इकाई के अधीन कार्यरत संकुल क्षेत्र संघ (Cluster Federation) के कार्यालय पर कैम्प के माध्यम से “जीविका दीदी” एवं “स्वयं सहायता समूह” की प्रत्येक सदस्य एवं उनके परिवार जनों हेतु “स्वस्थ जीविका दीदी” अभियान के तहत गतिविधियों का निम्नवत् संचालन कराना सुनिश्चित किया जाय—

- (i) आशा द्वारा अपने पोषक क्षेत्र में उक्त अभियान के तहत प्रत्येक सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कैम्प के माध्यम से “जीविका दीदी” एवं “स्वयं सहायता समूह” के प्रत्येक सदस्य एवं उनके घरों में रहने वाले प्रत्येक परिवारों का Family Folder एवं उस परिवार के 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों का CBAC Form पूर्ण रूप से भरा जाना है। आशा द्वारा पूर्ण रूपेण भरे हुए Family Folders एवं CBAC प्रपत्रों के आधार पर 10/- (दस) रूपये प्रति CBAC प्रपत्र की दर से आशा को प्रोत्साहन राशि का भुगतान राज्य स्तर पर ASHWIN Portal के माध्यम से किया जाना है।
- (ii) कैम्प रथल पर आशा द्वारा उपलब्ध कराये गये CBAC प्रपत्रों में अंकित सूचनाओं के Digitisation का कार्य संबंधित HWC-APHC पर नियुक्त डाटा इन्फ्री ऑपरेटर/ ANM के द्वारा किया जाना है।
- (iii) Digitisation के उपरान्त सभी संबंधित व्यक्तियों का ANM/ CHO के द्वारा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सामान्य कैंसर (यथा—मुँह, स्तन एवं गर्भाशय का मुख) की Preliminary Screening (न्यूनतम 20 प्रति कार्यदिवस) कराई जानी है। जो जीविका दीदी एवं उनके परिवार के सदस्य स्वस्थ्य (उच्च रक्तचाप मधुमेह एवं कैंसर का स्तर सामान्य) पाये जायेंगे, उन्हें प्राधिकृत CHO / चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से स्वस्थ्य जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जायेगा। CHO के द्वारा ANM को Screening करने में आवश्यक सहयोग एवं Handholding करेंगे।





# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



-2-

- (iv) Screening में पाये गये संदेहास्पद लक्षणों वाले मरीजों से संबंधित सूचना को ANM द्वारा e-Sanjeevani (Telemedicine) के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराएगी तथा आवश्यकतानुसार मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के उपचार संबंधी निर्धारित Treatment Protocol के अनुरूप आवश्यक औषधि (कम-से-कम एक माह की) भी दी जानी है। साथ ही, उन्हें अनिवार्य रूप से स्वस्थ जीवनशैली हेतु सलाह भी उपलब्ध कराई जानी है। आवश्यकतानुसार नजदीकी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-सह-हेल्थ वेलनेस सेन्टर/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर भी किया जा सकता है।
- (v) Screening के उपरान्त गैर संचारी रोग के ऐसे रोगी, जिनका उपचार HWC/HSC/CHC/PHC/DH से हो रहा हो, का प्रत्येक छः माह पर Follow up आशा के द्वारा किया जाना है। इसके लिए आशा को प्रत्येक Follow up के लिए 50/- रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान राज्य स्तर पर ASHWIN Portal के माध्यम से किया जाना है।
4. प्रस्तावित “स्वस्थ जीविका दीदी” अभियान का प्रारम्भ उन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (APHC), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों (HSC) पर किया जाना है, जिन्हे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में विकसित किया जा चुका है। संदर्भित स्वास्थ्य संस्थानों एवं जीविका Clusters की Mapping संबंधित प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक (BHM) एवं BPM (Jeevika) के द्वारा संयुक्त रूप से 10 दिनों के अन्दर की जानी है तथा चिन्हित स्थल की सूची संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के MOIC को उपलब्ध करायेंगे।
5. “जीविका” के अधीन सभी जिलों में कार्यरत संकुल क्षेत्र संघ (Cluster Federation) के क्षेत्र में आयोजित कैम्प पर प्रत्येक सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को संबंधित UPHC/APHC/HSC पर कार्यरत आशा, ANM, Staff Nurse, CHO, चिकित्सा पदाधिकारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आदि कर्मियों की एक टीम द्वारा सभी आवश्यक उपकरणों एवं सामग्रियों के साथ उपस्थित होकर प्रस्तावित अभियान का संचालन किया जाना है। इस पर होने वाले व्यय का वहन NPCDCS कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2021–22 के RoP के FMR Code 1.3.1.10 एवं 18.4.2 में अनुमोदित राशि से किया जा सकता है।
6. आयोजित किये जाने वाले इन Outreach Camps में कोविड के टीकाकरण का भी कार्य कराया जाना है, जिस हेतु अलग से ₹००००००० को इन कैम्प में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
7. NCD की Screening हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक सामग्रियों/उपकरणों यथा— BP मशीन, Glucometer with Lancet & Strip, Stethoscope, Stadiometer, Weighing Scale, Measuring Tape, Torch etc. की व्यवस्था संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सुनिश्चित कराई जानी है। इस हेतु CHO के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस पर होने वाले व्यय का वहन वर्ष 2021–22 के RoP के FMR Code 1.3.1.10 एवं 6.2.19.4 में अनुमोदित राशि से किया जा सकता है (छाया प्रति संलग्न)।
8. CBAC प्रपत्र/Family Folder में अंकित सूचनाओं के Digitisation कार्य हेतु जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड अनुश्रवण एवं मुल्यांकन सहायक के द्वारा संयुक्त रूप से HWC (UPHC, APHC) पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं CHO का NCD App पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जा सकता है। इस प्रशिक्षण में Tata Trust के द्वारा तकनीकि सहयोग प्रदान किया जाएगा। NCD App पर CARE India के ICT Coordinator का भी प्रशिक्षण कराया जा चुका है, जिनका सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।
9. संबंधित प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिला स्वास्थ्य समिति से पर्याप्त संख्या में दोनों प्रकार के प्रपत्रों को प्रत्येक आशा को उपलब्ध करायें। आशा द्वारा प्राप्त किये गये दोनों प्रपत्रों के उपयोग की अद्यतन स्थिति की जानकारी संबंधित ANM/CHO के माध्यम से संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जानी है। आवश्यकतानुसार प्रपत्रों का मुद्रण कराने हेतु NPCDCS कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2021–22 के RoP के FMR Code 1.3.1.8 में राशि अनुमोदित है (छाया प्रति संलग्न)।
10. प्रत्येक कैम्प स्थल पर भी इस आशय का संदेश आम जनमानस में प्रेषित करने हेतु 02 रंगीन फ्लेक्स बैनर (7 फीट x 5 फीट आकार का) का संस्थापन कराया जाना है (प्रारूप संलग्न)। इस पर होने वाले



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



—3—

व्यय का वहन NPCDCS कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2021–22 के RoP के FMR Code 11.22.3 में अनुमोदित राशि से किया जा सकता है (छाया प्रति संलग्न)।

11. कैम्प हेतु निर्धारित दिवसों को चिकित्सा पदाधिकारी, ANM एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया जाय।

12. जिला स्वास्थ्य समिति BHM एवं BCM तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM), “जीविका” की यह संयुक्त जबाबदेही है कि जीविका के (Cluster Federation) कैम्प स्थल पर आवश्यक व्यवस्था, आशा एवं जीविका दीदी एवं उनके परिवार जनों की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे तथा प्रत्येक सोमवार बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कैम्प स्थल की गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर उससे संबंधित प्रतिवेदन संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति, गैर संचारी कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. गैर संचारी रोग पदाधिकारी (प्रभारी सहित), जिला योजना समन्वयक एवं वित्त-सह-लॉजिस्टिक सलाहकार (प्रभारी सहित) MOIC के माध्यम से BHM एवं BCM से प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन संबंधित सिविल सर्जन के माध्यम से राज्य NCD कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

विश्वासभाजन

(बाला मुरुगन डी०)



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



-3-

व्यय का वहन NPCDCS कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2021–22 के RoP के FMR Code 11.22.3 में अनुमोदित राशि से किया जा सकता है (छाया प्रति संलग्न)।

11. कैम्प हेतु निर्धारित दिवसों को चिकित्सा पदाधिकारी, ANM एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देशित किया जाय।

12. जिला स्वास्थ्य समिति BHM एवं BCM तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM), “जीविका” की यह संयुक्त जबाबदेही है कि जीविका के (Cluster Federation) कैम्प स्थल पर आवश्यक व्यवस्था, आशा एवं जीविका दीदी एवं उनके परिवार जनों की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे तथा प्रत्येक सोमवार बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कैम्प स्थल की गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर उससे संबंधित प्रतिवेदन संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति, गैर संचारी कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. गैर संचारी रोग पदाधिकारी (प्रभारी सहित), जिला योजना समन्वयक एवं वित्त-सह-लॉजिस्टिक सलाहकार (प्रभारी सहित) MOIC के माध्यम से BHM एवं BCM से प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन संबंधित सिविल सर्जन के माध्यम से राज्य NCD कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

विश्वासभाजन

ह०/-

(बाला मुरुगन डी०)

ज्ञापांक : २२०२, दिनांक : २३/१२/२१

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, सभी जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, सभी प्रमण्डल, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, ARC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, NUHM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर उपाधीक्षक—सह—अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम प्रबंधक, वित्त-सह-लॉजिस्टिक सलाहकार (NPCDCS) एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव, स्वास्थ्य—सह—  
कार्यपालक निदेशक

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग—सह—मुख्य  
कार्यपालक पदाधिकारी, “जीविका”

